UP Board Solutions for Class 7 Civics Chapter 1 हमारा संविधान

अभ्यास

प्रश्न 1.

निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए-

- (क) संविधान सभा के अध्यक्ष थे -
- (अ) डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद •
- (ब) डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ○
- (स) सरोजनी नायडू ○
- (छ) एच॰बी॰ कामथ ()
- (ख) मौलिक अधिकारों की संख्या है-
- (अ) 10 ○
- (ৰ) ৪ 🔾
- (स) 6 ●
- (ভ) 5 🔾

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) संविधान सभा के बारे में लिखिए।

उत्तर

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन् 1946 में एक संविधान-सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप सिमिति भी बनी। जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस सिमिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया।

(ख) संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर

भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है।

(ग) भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर, जनता द्वारा स्वतन्त्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। (घ) नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं?

उत्तर

राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते है। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके सम्पूर्ण जीवन-यापन के लिए इनकी स्वतन्त्रता सुनिश्चित करता हैं।

(ङ) समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर

संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, सार्वजिनक जगहों जैसे-दुकानों, होटलों या सिनेमाघरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है।

(च) नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी हैं ?

उत्तर

नीति निदेशक तत्त्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए, वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे- शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करना, बिना किसी | भेद-भाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात, सुरक्षा आदि।

(छ) मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कोई एक अन्तर बताइए।

उत्तर

मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धान्तों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता।

- (ज) संविधान में प्रदत्त 'स्वतंत्रता के अधिकार' के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं? उत्तर
 - 1. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार।
 - 2. सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार।
 - 3. समानता । का अधिकार।।
- (झ) संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए।

उत्तर

संविधान में दिए गए दो मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं-

- 1. प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, एवं राष्ट्रगान का आदर करें।
- 2. प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
- (ज) हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर

जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है अतः

इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के काम-काज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्यीक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। अतः हमारे देश के लिए संविधान महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न 3.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (भरकर)-

उत्तर

- (क) संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष **डॉ. भीमराव अंबेडकर** थे।
- (ख) संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 (ग्यारह) मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
- (ग) मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक **न्यायालय** की शरण में जा सकता है।